

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.  
प्रकरण सं० - 16/2017/प्रार्थना पत्र  
तारीख दायर 07.02.2017  
उनवान  
तारीख फैसला 20.04.2017

रामचन्द्र पिता भैरूलाल बैरवा निवासी डोई का खेड़ा तह० फूलियाकलां  
- प्रार्थी  
बनाम

- 1- मेवा पिता गंभीरा गुर्जर निवासी डोई का खेड़ा तहसील फूलियाकलां
- 2- लाड पुत्री खाना भील निवासी डोई का खेड़ा तह० फूलियाकलां
- 3- हरदेव पिता मांगिया भील निवासी डोई का खेड़ा तह० फूलियाकलां
- 4- गोपाल पिता हगामा भील निवासी डोई का खेड़ा तह० फूलियाकलां
- 5- केशरदेवी पत्नि मेवालाल गुर्जर निवासी डोई का खेड़ा तह० फूलियाकलां
- 6- जसोदादेवी पत्नि शंकरलाल शर्मा निवासी शाहपुरा तह० शाहपुरा
- 7- कल्याण पिता चन्दा भील निवासी डेलास तह० फूलियाकलां
- 8- बन्ना पिता सेवा भील निवासी गणेशपुरा तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

### निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम डेलास पटवार हल्का डेलास तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 163 आ०न० 98 रकबा 2.25 है० कुल किता 01 रकबा 2.25 है० स्थित है। प्रार्थी की पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये



जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम डेलास पटवार मण्डल डेलास संवत 2072 से 75 खाता संख्या 163 कुल किता 1 रकबा 2.25 है० का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डेलास पटवार हल्का डेलास तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 163 आ०न० 98 रकबा 2.25 है० कुल किता 01 रकबा 2.25 है० प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 900/- ( अक्षरे नो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



a  
(के०आर० खौड़)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

a

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

७